रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2005/कार्तिक 19, 1927
No. 147] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2005/KARTIKA 19, 1927

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 10 नवम्बर, 2005

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियमन, 2005

फा. सं. आईआरडीए/एमआई/3/2005.— प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 26 और 114 **क** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 (1999 की 41) प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति से सलाह लेते हुए, यहाँ निम्नलिखित विनियमन बनाये गये हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियमन 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं - इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम ' से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है ;

(ख) 'प्राधिकरण' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) 'परिवार' परिवार से अभिप्रायः उस इकाई से है जिसमें पति, पत्नी, आश्रित अभिवक, तथा अधिकत्तम तीन संतान शामिल हैं।

इस प्रावधान के साथ कि यदि तीन से अधिक संतान की संख्या हो तो 'उपरोक्त ' के अन्तर्गत

पहली तीन संतानों को ही परिवार संघटन के लिए शामिल किया जाएगा।

आगे ऐसा प्रावधान है कि एक बीमाकर्त्ता, पूर्वोक्त मापदंड जो परिवार के संघटन के लिए शामिल किये गये है, आवश्यकता अनुसार व्यक्ति तथा समूह का निर्धारण करते हैं।

(घ) ' साधारण सूक्ष्म बीमा उत्पाद ' से अभिप्रायः हैल्थ बीमा संविदा से है, कोई भी संविदा जो संबधित परिसंपतियाँ जैसे झोपडी, पशुधन, औजार अथवा यन्त्र अथवा अन्य व्यक्तिगत दुर्घटना संविदा, समुह अथवा व्यक्तिगत रूप से, उन शर्तो के अनुसार विनियमों जिन्हें अनुसूची I के अत्यधीन संलग्न किया गया है।

(ड) ' जीवन सूक्ष्म बीमा उत्पाद ' से अभिप्रायः किसी भी ऐसे समयावधि संविदा से है जो प्रिमियम वापसी के साथ अथवा प्रिमियम वापसी के न साथ कोई भी बन्दोबस्ती बीमा संविदा अथवा हैल्थ बीमा संविदा, दुर्धटना बीमा राईडर के साथ या विपरित, या तो व्यक्तिगत अथवा समूह आधार पर, अनुसूची II में दी गई शतों के अनुसार संलग्न है।

(च) 'सूक्ष्म बीमा अभिकर्ता ' से अभिप्रायः (i) स्वयं-सेवी संस्था (एनजीओ); या (ii) स्वयं मदद समूह (एसएचजी); या (iii) सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई), जिसकी नियुक्ति एक बीमा कर्त्ता द्वारा की गई हो वह एक सूक्ष्म- बीमा अभिकर्त्ता के रूप में सूक्ष्म बीमा उत्पादों का वितरण करेगा।

स्पष्टीकरण :- इन विनियमों के प्रयोजन के लिए

(I) स्वयं-सेवी संस्था (एनजीओ) से अभिप्रायः एक गैर लाभ कारी संस्था से है जो किसी भी विधि के अन्तर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हो, तथा कम से कम तीन वर्ष से सीमांत समूह के साथ कार्यरत हो, तथा उसका प्रमाण्य कार्य-निष्पादन रिकार्ड रहा हो, स्पष्ट रूप से लक्ष्य, उद्धेश्य, पारदर्शकता तथा जवाबदेही जो ज्ञापन, नियम, उप नियम अथवा विनियमन, जैसा की मामला हो का प्रदर्शन प्रतिबद्ध लोगो द्वारा किया जाना चाहिये।

(II) स्वयं मदद समूह (एसएचजी) से अभिप्राय एक अनौपचारिक समूह से है जिसमें दस से बीस अथवा अधिक व्यक्ति हो तथा वह सीमांत समूह के साथ कम से कम तीन वर्ष से कार्यरत हो, उसका प्रमाण्य कार्य-निष्पादन रिकार्ड रहा हो, हो, स्पष्ट रूप से लक्ष्य, उद्धेश्य, पारदर्शकता तथा जवाबदेही जो ज्ञापन, नियम, उप नियम अथवा विनियमन, जैसा की मामला हो का प्रदर्शन प्रतिबद्ध लोगो द्वारा किया जाना चाहिये।

(III) सूक्ष्म वित्त संस्थान से अभिप्राय ऐसे संस्थानों अथवा इकाई या संघ से है जो किसी भी विधि के अन्तर्गत संस्था अथवा सहकारी संस्था के रूप में पंजीकृत हुए हो तथा अंर्तसम्बन्ध के रूप में अपने सदस्यों के लिए ऋण/वित्त की व्यवस्था करते हों।

(छ) ' सूक्ष्म बीमा पालसी ' से अभिप्राय ऐसी बीमा विक्रय योजना से है जिसकी स्वीकृति प्राधिकरण से विशेषज्ञता सूक्ष्म बीमा पालसी के रूप में ली गई हो इसके संबन्ध में प्रस्ताव पत्र तथा सभी विप्पण्ण सामग्री

(ज) ' सूक्ष्म बीमा उत्पाद ' में शामिल है साधारण सूक्ष्म बीमा उत्पाद अथवा जीवन सूक्ष्म बीमा उत्पाद

(झ) यहाँ प्रयोग किये सभी शब्द तथा अभ्व्यिक्तियाँ परिभाषित नहीं की गई हैं वरन उन्हें बीमा अधिनियम, 1938 (1938 की 4) में परिभाषित किया गया है अथवा बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम (1999 का 41) अथवा उसके अर्न्तगत तैयार किये गये नियम तथा विनियम के अनुसार इन नियमों तथा विनियमों के संबंध में अर्थ परिभाषित होगें।

3. साधारण बीमा कर्त्ता तथा जीवन बीमा कर्त्ता के मध्य तालमेल व्यवस्था :- (1) एक बीमाकर्त्ता जो जीवन बीमा व्यवसाय को करता है वह सूक्ष्म जीवन बीमा उत्पाद तथा साधारण बीमा के सूक्ष्म उत्पाद प्रस्तावित कर सकता है। जैसा की यहाँ प्रावधान किया गया।

परंतु ऐसे सूक्ष्म जीवन बीमा उत्पाद उपलब्ध करवाने वाले बीमाकर्त्ता की तालमेल व्यवस्था बीमाकर्त्ता से हों जो साधारण बीमा व्यवसाय प्रस्तावित करता है। तथा अधिनियम की धारा 64 वीबी के प्रावधानों के अनुसार, साधारण सूक्ष्म बीमा उत्पादों का आरोपण करने वाले बीमाकर्ता जो जीवन बीमा व्यवसाय करते हैं भावी (प्रस्तावक) से प्रिमियम एकत्र कर, प्रत्यक्ष अथवा सूक्ष्म बीमा के वितरक जो विनियम 4 में लिखित है, तथा जिन्हें उन बीमाकर्त्ताओं के लिए बनाया गया है जो साधारण बीमा करते हैं।

आगे यह प्रावधान है कि सूक्ष्म बीमा उत्पाद के दावे की अवस्था में, बीमाकर्त्ता जो साधारण बीमा व्यवसाय करते हैं अथवा सूक्ष्म बीमा उत्पादों के की वितरण इकाईया हैं, जैसा भी मामला हो, जिसे तालमेल व्यवस्था में प्रथम प्रावधानों मे संप्रेषित किया गया हो, वह दावे को अग्रसीत करेंगें उप बीमाकर्त्तो को जो साधारण बीमा व्यवसाय करते हैं तथा सभी सहायता दावों के तीव्रता से निपटान के लिए देगें ।

(2) एक बीमाकर्त्ता जो साधारण बीमा व्यवसाय को करता है वह सूक्ष्म जीवन बीमा उत्पाद तथा साधारण बीमा के सूक्ष्म उत्पाद प्रस्तावित कर सकता है। जिन्हे यहाँ प्रस्तावित किया गया है।

परंतु ऐसी अवस्था में जहाँ बीमाकर्त्ता साधारण बीमा व्यवसाय तथा सूक्ष्म साधारण बीमा उत्पाद प्रस्तावित करते हो, उन्हें तालमेल व्यवस्था में प्रथम प्रावधान के रूप में इसें संप्रेषित करना होगा। वह दावों को जीवन बीमा व्यवसाय करने वालों को अग्रसीत करेगें तथा सभी सहायता दावों के तीव्रता से निपटान के लिए देगें । तथा अधिनियम की धारा 64 वीबी के प्रावधानों के अनुसार, जीवन सूक्ष्म बीमा उत्पादों का आरोपण करने वाले बीमाकर्ता जो जीवन बीमा व्यवसाय करते हैं भावी (प्रस्तावक) से प्रिमियम एकत्र कर, प्रत्यक्ष अथवा सूक्ष्म बीमा के वितरक जो विनियम 4 में लिखित है, तथा जिन्हें उन बीमाकर्त्ताओं के लिए बनाया गया है जो जीवन बीमा करते हैं।
आगे यह प्रावधान है कि सूक्ष्म बीमा उत्पाद के दावे की अवस्था में, बीमाकर्त्ता जो जीवन बीमा व्यवसाय करते हैं अथवा सूक्ष्म बीमा उत्पादों के की वितरण इकाईया हैं, जैसा भी मामला हो, जिसे तालमेल व्यवस्था में प्रथम प्रावधानों मे संप्रेषित किया गया हो, वह दावे को अग्रसीत करेंगें उप बीमाकर्त्तो को जो साधारण बीमा व्यवसाय करते हैं तथा सभी सहायता दावों के तीव्रता से निपटान के लिए देगें

4. सूक्ष्म बीमा उत्पादों का वितरण :- अधिनियम के अन्तर्गत अभिकर्ता, निगमित अभिकर्ता, अथवा बीमा दलाल को दी गई अनुज्ञप्ति के अतिरिक्त जैसा कि मामला हो, सूक्ष्म बीमा उत्पादों का वितरण सूक्ष्म बीमा अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने चाहिये।

परंतु ऐसे सूक्ष्म बीमा अभिकर्ताओं द्वारा सूक्ष्म बीमा उत्पादों के अतिरिक्त अन्य कोई बीमा उत्पाद वितरित नहीं किया जाना चाहिये।

5. सूक्ष्म बीमा अभिकर्ताओं की नियुक्तिः- (1)सूक्ष्म बीमा अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए बीमाकर्त्ता को एक संविदा विलेख करना होगा, इसमें ऐसी नियुक्ति की सेवा की शर्तों जिसमें बीमाकर्त्ता और

सूक्ष्म बीमा अभिर्कर्त्ता के कर्तव्य दायित्व स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए,

परन्तु ऐसे संविदा में शामिल होने से पहले यह बीमाकर्त्ता के प्रधान कार्यालय से मंजूरी होना चाहिये।

(2) सूक्ष्म बीमा अभिकर्ता एक से अधिक बीमाकर्ता जो जीवन बीमा व्यवसाय करता हो तथा एक बीमा कर्त्ता जो साधारण बीमा व्यवसाय करता हो से सम्बध नहीं होगा।

(3) उप विनियमन (1) में दिये गये संविदा विलेख द्वारा विशेष रूप से सूक्ष्म बीमा अभिकर्ता को प्राधिकृत किया जाता है निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य करने के लिए मुख्यतः

क) प्रस्ताव पत्र प्राप्त करना

ख) स्वयं घोषक पत्र प्रस्तावक/ प्रस्ताविका से उसके अच्छे स्वास्थ्य के संबंध में प्राप्त करना

ग) प्रीमियम एकत्र करना तथा जमा करवाना

घ) पालसी दस्तावेज का वितरण

ड) सभी बीमितो तथा उनके आश्रितों का एक पंजीकरण रजिस्टर का रख-रखाव करना जिन्हें सूक्ष्म बीमा योजना में आवरण प्रदान किया गया है, जिसमें शामिल है नाम, लिंग, आयु, पता, नामांकन, तथा पालसी धारक के अगुंठे के निशान/ हस्ताक्षर;

च) दावा निपटान में मदद करना

छ) इसे सुनिशचित करना कि बीमित द्वारा नामंकन किया जाए ;

ज) सभी प्रकार की पालसी प्रशासन सेवा।

4) सूक्ष्म बीमा अभिकर्ता तथा बीमाकर्त्ता के पास यह विकल्प है कि वह उप विनियमन (1) के अन्तर्गत संविदा को समाप्त कर सकें, संविदा समाप्त करने वाले पक्ष द्वारा तीन माह कि अग्रीम सूचना देने के बाद।

साथ ही ऐसा नोटिस आवश्यक नहीं होगा, जब निरस्तीकरण का कारण सूक्ष्मबीमा अभिकर्ता का कदाचार, अनुशासनहीनता, अथवा कपटपूर्ण व्यवहार हो।

6. सूक्ष्म बीमा अभिकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों को रोजगार :- एक सूक्ष्म बीमा अभिकर्त्ता व्यक्ति विशेष को बीमा कर्त्ता की पूर्व अनुमति से नियुक्त करेगा जो विनियमन 5 के उप- विनियमन (3) के अर्न्तगत दिये गये कार्यो के अनुसार कार्य करने के लिए होगें।

साथ ही निगमित अभिकर्त्ता तथा बीमा दलाल जो सूक्ष्म बीमा व्यवसाय को प्रापण करते है वे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निगमित अभिकर्तो के लाइसेंस) विनियम, 2002 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 जैसा भी मामला हो से शासी होगें।

7. सूक्ष्म बीमा अभिकर्ताओं के लिए आचरण संहिता :- (1) सभी सूक्ष्म बीमा अभिकर्त्ता तथा विशिष्ट व्यक्ति जिसको उसने नियुक्त किया हो वह आचरण संहिता से बाधित होगा जो बीमा विनियमन तथा विकास प्राधिकरण (अभिकत्ताओं को अनुज्ञप्ति) विनियमन 2002 के विनियमन 8 में

तथा बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण (विज्ञापन तथा प्रकटिकरण) विनियमन 2000 के संबधित प्रावधानों के अनुसार हैं।

परन्तु बीमाकर्त्ता को आचरण संहिता का अनुपालन सुनिशचित करना होगा, विज्ञापन तथा विवेकपूर्ण मानदंड सभी सूक्ष्म बीमा अभिकर्ताओं के लिए सुनिश्चित करना होगा

(2) सूक्ष्म बीमा अभिकर्ताओं के लिए आचरण संहिता तथा /अथवा विज्ञापन तथा प्रकटिकरण मानकों जिनका उपर वर्णन किया गया है में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण उसकी नियुक्ति को निरस्त करने के अतिरिक्त दंड परिणाम आचरण संहिता तथा /अथवा विज्ञापन तथा प्रकटिकरण मानको के कामकाज के लिए उप- विनियमन (1) के प्रावधानों के अनुसार होगा।

8. सूक्ष्म बीमा उत्पादों के रूपांकन को फाईल करना :- (1) प्रत्येक बीमाकर्त्ता 'फाईल तथा यूज' की प्रक्रिया के विषय के अनुरूप होगा जो प्राधिकरण में सूक्ष्म बीमा उत्पादों के प्राधिकरण में फाईल करने से सम्बन्ध रखता है।

(2) सभी सूक्ष्म बीमा उत्पाद, जिन्हे प्राधिकरण द्वारा सूक्ष्म बीमा उत्पादों के लिए अनुमति प्रदान की गई हो प्रमुखता से मुख्य पंक्ति में अग्रनयन करेगें ' सूक्ष्म बीमा उत्पाद'

9. सूक्ष्म बीमा पालसी संविदा को जारी करना :- (1) सभी बीमाकर्त्ता व्यक्तिगत सूक्ष्म-बीमा उत्पादों को स्थानीय भाषा में ऐसे प्रस्तुत करेगें जिसे सरलता से तथा आसानी से पालसीधारक समझ सकें। साथ ही जहॉ कहीं भी पालसी संविदा का स्थानीय भाषा में अनुवाद संभव न हो बीमाकर्ता को विस्तृत लेख पालसी के संबन्ध में स्थानीय भाषा में प्रस्तुत करना होगा।

(2) सभी बीमा कर्त्ता समूह को सूक्ष्म बीमा पालसीधारक को बीमा संविदा जारी करते समय बिना हेर-फेर का फार्म शेड्रूल के साथ जिसमें समूह के अन्तर्गत व्यक्तिगत आवरण का विवरण होगा। तथा एक पृथक प्रमाण पत्र सभी व्यक्तिगत लोगों को बीमा का प्रमाण, आवरण की समय अवधि, मनोनीत का नाम तथा बीमालेखन कार्यालय का पता तथा सेवा कार्यालय जब दोनों कार्यालय एक न हों

10. बीमालेखन:- बीमा आवरण प्रदान करने के लिए कोई भी बीमाकर्त्ता सूक्ष्म बीमा अभिकर्त्ता अथवा अन्य किसी बाहय को बीमा प्रस्ताव बीमा आवरण प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा ।

11. क्षमता निर्माण :- सभी बीमाकर्त्ता न्यूनतम पच्चीस घंटे का प्रशिक्षण अपने खर्च पर प्राधिकृत अधिकारी/यों द्वारा स्थानीय भाषा में सभी सूक्ष्म बीमा अभिकत्ताओं तथा बीमा बेचने वाले, पालसीधारक को सेवा देने तथा दावा प्रशासन के विशिष्ट व्यक्तियों को उपलब्ध करवायेगे।

12. मेहनताना/ आढ़त :- (1) विनियमन 5 में दिये गए कार्यो के निष्पादन के अनुसार एक सूक्ष्म बीमा अभिकर्त्ता को बीमाकर्त्ता मेहनताना दिया जा सकता है जो निम्न लिखित से अधिक नहीं होगा

(क) जीवन बीमा व्यवसाय के लिए :

एकल प्रीमियम पालसी - एकल प्रीमियम का दस प्रतिशत

गैर एकल प्रीमियम पालसी - सभी वर्षो के लिए बीस प्रतिशत, देय प्रिमियम वर्षो के अनुसार

(ख) गैर जीवन बीमा व्यवसाय के लिए : प्रीमियम का पंद्रह प्रतिशत ।

(2) जब संविदा सूक्ष्म बीमा अभिकर्त्ता तथा बीमाकर्त्ता के मध्य किसी भी कारण से टूट तो भविष्य के लिए कोई भी मेहनताना/ आढ़त देय नहीं होगा।

(3) समूह बीमा उत्पाद, बीमाकर्त्ता को उप विनियमन (1) के अनुसार कमीशन की कुल सीमा निर्धारित करनी होगी।

13. संपूर्ण अनुपालन :- प्रत्येक बीमाकर्त्ता यह सुनिशचित करेगा सूक्ष्म बीमा व्यवसाय के सम्बन्ध में किये गये सभी लेन-देन अधिनियम बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण अधिनियम (1999 का 41) के प्रावधानों अनुसार तथा उसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों तथा विनियम के अनुसार होगे,

14. सूचना प्रस्तुतिकरण :- प्रत्येक बीमाकर्त्ता सूचना का प्रस्तुतिकरण सूक्ष्म बीमा के सम्बन्ध में समय समय पर उसी प्रकार करेगा जैसा प्राधिकरण को अपेक्षित होगा।

15. ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र के लिए बाध्यताएँ :- (1) सभी सूक्ष्म बीमा पालसियों की संगणना बीमाकर्त्ता द्वारा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमन में दिये गये सामाजिक बाध्यताओं कि पूर्ति के२ लिए किये जाने चाहिये।

(2) जब सूक्ष्म बीमा पालसी किसी ग्रामीण क्षेत्र में जारी की जायेगी तथा वह सामाजिक क्षेत्र की परिभाषा के अर्न्तगत आयेगी , ऐसी सभी पालसीसों को अलग अलग सामाजिक तथा ग्रामीण क्षेत्र की बाध्यताओं के अनुसार दिखाया जाना चाहिये।

16. शिकायतों/ परीवाद पर कार्रवाई करना :- (1) सूक्ष्म बीमाकर्त्ता अभिकत्ताओं के विरूद्ध शिकायतों/ परीवाद का नीयत तथा समयबद्ध निपटान करने का उत्तरदायित्व बीमाकर्त्ता पर होगा।

(2) यदि कोई सूक्ष्म बीमा पालसी ग्रामीण क्षेत्र में जारी कह जाती है तथा सामाजिक क्षेत्र की परिभाषा में आती है तो उसकी संगणना अलग अलग ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र में की जानी चाहिये।

17. प्राधिकरण द्वारा निरिक्षण :- यदि आवश्यक समझा जाए तो, प्राधिकरण सूक्ष्म बीमाकर्त्ता अभिकत्ताओं के कार्यालय तथा अभिलेखों का निरिक्षण किसी भी समय कर सकता है ।

18 कठिनाई का निवारण :- इन विनियमों के अनुपालन में यदि कोई कठिनाई अथवा शंका आती है तो उसे प्राधिकरण के पास विचारार्थ भेजना होगा तथा उसके निणर्य दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगें।

अनुसूची I

[देखें विनियमन 2 (डी)]

मद	आवरण का प्रकार	आवरण की न्युनत्तम सीमा	आवरण की अधिकतम सीमा	आवरण की अवधि न्युनत्तम	आवरण की अवधि अधिकत्तम	न्युनत्तम आयु	अधिकत्तम आयु
1	भवन तथा अंतर्वस्तु , अथवा पशुधन अथवा औजार अथवा कृषि उपकरण अथवा अन्य नामित संपतियों/ अथवा सभी जोखिमों पर फसल बीमा	रू. 5,000 *प्रति संपति आवरण*	रू. 30,000 *प्रति संपति आवरण*	1 वर्ष	1 वर्ष	*लागु नहीं*	*लागु नहीं*
2	हैल्थ बीमा संविदा (व्यक्तिगत)	रू. 5,000	Rs. 30,000	1 वर्ष	1 वर्ष	*बीमाकर्ता का विवेक*	

3	हैल्थ बीमा संविदा (*परिवार*) व्यक्तिगत के लिए सीमा का विकल्प / परिवार पर सकल निर्गम	रु. 10,000	Rs. **30,000**	1 वर्ष	1 वर्ष	*बीमाकर्ता का विवेक*	
4	(व्यक्तिगत दुर्घटना) (प्रति जीवन / परिवार का कमाऊ सदस्य)	रु.. 10,000	Rs. **50,000**	1 वर्ष	1 वर्ष	**5**	**70**

टिप्पणी : किसी भी समूह के लिए बीमा प्राप्त करने के लिए न्युनत्तम सीमा बीस है

अनुसूची I

[देखें विनियमन 2 (ई)

आवरण का प्रकार	आवरण की न्युनत्तम सीमा	आवरण की अधिकतम सीमा	आवरण की अवधि न्युनत्तम	आवरण की अवधि अधिकत्तम	न्युनत्तम आयु	अधिकत्तम आयु
सावधि बीमा प्रिमियम वापसी अथवा बीमा वापसी	रु. 5,000	रु. 50,000	5 वर्ष	वर्ष	18	60
बन्दोबस्ती बीमा	रु. 5,000	रु.30,000	5 वर्ष	15 वर्ष	18	60
हैल्थ बीमा संविदा (व्यक्तिगत)	रु. 5,000	रु. 30,000	1 वर्ष	7 वर्ष	*बीमाकर्ता का विवेक*	*बीमाकर्ता का विवेक*
हैल्थ बीमा संविदा (परिवार)	रु. 10,000	रु. 30,000	1 वर्ष	7 वर्ष	*बीमाकर्ता का विवेक*	*बीमाकर्ता का विवेक*
राईडर के रूप में दुर्घटना बीमा	रु.10,000	रु. 50,000	*5* वर्ष	15 वर्ष	18	60

टिप्पण : समूह बीमा उत्पाद वार्षिक आधार पर नवीकृत किये जायेंगे।

2. : किसी भी समूह के लिए बीमा प्राप्त करने के लिए न्युनत्तम सीमा बीस है

सी. एस. राव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/161/2005/असा.]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 10th November, 2005

Insurance Regulatory and Development Authority (Micro-Insurance) Regulations, 2005

F. No. IRDA/MI/3/2005:–*In exercise of the powers conferred by Section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with Section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:-*

Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Micro-insurance) Regulations, 2005.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these regulations, unless the context requires otherwise-

(a) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(b) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);

(c) "family" means a unit comprising of husband, wife, dependant parents and a maximum of three children.

Provided that where the number of children is more than three, for construing the composition of family as aforesaid, the first three children shall be included.

Provided further that an insurer may, within the aforesaid parameters laid down for the composition of the family, define 'family' as per the requirements of the individual or group.

(d) "general micro-insurance product" means any health insurance contract, any contract covering the belongings, such as, hut, livestock or tools or instruments or any personal accident contract, either on individual or group basis, as per terms stated in Schedule-I appended to these regulations;

(e) "life micro-insurance product" means any term insurance contract with or without return of premium, any endowment insurance contract or health insurance contract, with or without an accident benefit rider, either on individual or group basis, as per terms stated in Schedule-II appended to these regulations;

(f) "micro-insurance agent" means.- (i) a Non-Government Organisation (NGO); or (ii) a Self Help Group (SHG); or (iii) a Micro-Finance Institution (MFI), who is appointed by an insurer to act as a micro-insurance agent for distribution of micro-insurance products.

Explanation:- For the purposes of these regulations.-

(I) Non-Government Organisation (NGO) means a non-profit organization registered as a society under any law, and has been working at least for three years with marginalized groups, with proven track record, clearly stated aims and objectives, transparency, and accountability as outlined in its memorandum, rules, by-laws or regulations, as the case may be, and demonstrates involvement of committed people.

(II) Self Help Group (SHG) means any informal group consisting of ten to twenty or more persons and has been working at least for three years with marginalized groups, with proven track record, clearly stated aims and objectives, transparency, and accountability as outlined in its memorandum, rules, by-laws or regulations, as the case may be, and demonstrates involvement of committed people.

(III) Micro-Finance Institution means any institution or entity or association registered under any law for the registration of societies or co-operative societies, as the case may be, inter *alia,* for sanctioning loan/finance to its members.

(g) "micro-insurance policy" means an insurance policy sold under a plan which has been specifically approved by the Authority as a micro-insurance product;

(h) "micro-insurance product" includes a general micro-insurance product or life insurance product, proposal form and all marketing materials in respect thereof;

(i) all words and expressions used herein and not defined but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or in any Rules or Regulations made there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations.

3. Tie-up between life insurer and non-life insurer.- (1) An insurer carrying on life insurance business may offer life micro-insurance products as also general micro-insurance products, as provided herein.

Provided that where an insurer carrying on life insurance business offers any general micro-insurance product, he shall have a tie-up with an insurer carrying on general insurance business for this purpose, and subject to the provisions of section 64VB of the Act, the premium attributable to the general micro insurance product may be collected from the prospect (proposer) by the insurer carrying on life insurance business, either directly or through any of the distributing entities of micro-insurance products as

specified in regulation 4, and made over to the insurer carrying on general insurance business.

Provided further that in the event of any claim in regard to general micro-insurance products, the insurer carrying on life insurance business or the distributing entities of micro-insurance products, as the case may be, as may be specified in the tie-up referred to in the first proviso, shall forward the claim to the insurer carrying on general insurance business and offer all assistance for the expeditious disposal of the claim.

(2) An insurer carrying on general insurance business may offer general micro-insurance products as also life micro-insurance products, as provided herein.

Provided that where an insurer carrying on general insurance business offers any life micro-insurance product, he shall have a tie-up with an insurer carrying on life insurance business for this purpose, and subject to the provisions of section 64VB of the Act, the premium attributable to the life micro insurance product may be collected from the prospect (proposer) by the insurer carrying on general insurance business, either directly or through any of the distributing entities of micro-insurance products as specified in regulation 4, and made over to the insurer carrying on life insurance business.

Provided further that in the event of any claim in regard to life micro-insurance products, the insurer carrying on general insurance business or the distributing entities of micro-insurance products, as the case may be, as may be specified in the tie-up referred to in the first proviso, shall forward the claim to the insurer carrying on life insurance business and offer all assistance for the expeditious disposal of the claim.

4. Distribution of micro-insurance products.- In addition to an insurance agent or corporate agent or broker licensed under the Act, read with the regulations concerned made by the Authority for licensing of individual or corporate agents, or insurance brokers, as the case may be, micro-insurance products may be distributed through the micro-insurance agents.

Provided that a micro-insurance agent shall not distribute any product other than a micro -insurance product.

5. Appointment of micro-insurance agents.- (1) A micro-insurance agent shall be appointed by an insurer by entering into a deed of agreement, which shall clearly specify the terms and conditions of such appointment, including the duties and responsibilities of both the micro-insurance agent and the insurer.

Provided that before entering into every such agreement, the same shall be got approved by the head office of the insurer.

(2) A micro-insurance agent shall not work for more than one insurer carrying on life insurance business and one insurer carrying on general insurance business.

(3) The deed of agreement referred to in sub-regulation (1) shall specifically authorize the micro-insurance agent to perform one or more of the following additional functions, namely:

a) collection of proposal forms;
b) collection of self declaration from the proposer that he/she is in good health;
c) collection and remittance of premium;
d) distribution of policy documents;
e) maintenance of register of all those insured and their dependants covered under the micro-insurance scheme, together with details of name, sex, age, address, nominees and thumb impression/ signature of the policyholder;
f) assistance in the settlement of claims;
g) ensuring nomination to be made by the insured;
h) any policy administration service.

(4) The micro-insurance agent or the insurer shall have the option to terminate the agreement referred to in sub-regulation (1), after giving a notice of three months by the party intending to terminate the agreement.

Provided that no such notice shall be necessary, where the termination is on account of any misconduct or indiscipline or fraud committed by the micro-insurance agent.

6. Employment of specified persons by micro-insurance agents.- A micro-insurance agent shall employ specified persons with the prior approval of the insurer for the purpose of discharging all or any of the functions stated in sub-regulation (3) of regulation 5.

Provided that corporate agents and insurance brokers procuring micro-insurance business shall continue to be governed by the Insurance Regulatory and Development Authority (Licencing of Corporate Agents) Regulations, 2002, and Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2002, as the case may be.

7. Code of conduct of Micro insurance agents.- (1) Every micro-insurance agent and specified person employed by him shall abide by the code of conduct as laid down in Regulation 8 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Insurance Agents) Regulations, 2000, and the relevant provisions of Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2000.

Provided that the insurer shall ensure compliance of the code of conduct, advertisements and disclosure norms by every micro-insurance agent.

(2) Any violation by a micro-insurance agent of the code of conduct and/or advertisement or disclosure norms as aforesaid shall lead to termination of his appointment, in addition to penal consequences for breach of code of conduct and/or advertisement or disclosure norms pursuant to the provisions of sub-regulation (1).

8. Filing of micro-insurance product design.- (1) Every insurer shall be subject to the "file and use" procedure with respect to filing of micro-insurance products with the Authority.

(2) Every micro-insurance product which is cleared by the Authority for the purpose of micro insurance shall prominently carry the caption "Micro Insurance Product".

9. Issuance of micro-insurance policy contracts.- (1) Every insurer shall issue insurance contracts to the individual micro-insurance policyholders in the vernacular language which is simple and easily understood by the policyholders.

Provided that where issuance of policy contracts in the vernacular language is not possible, the insurer shall as far as possible issue a detailed write-up about the policy details in the vernacular language.

(2) Every insurer shall issue insurance contracts to the group micro-insurance policyholder in an unalterable form along with a schedule showing the details of individuals covered under the group, and also issue a separate certificate, to each such individual evidencing proof of insurance, containing details of validity period of cover, name of the nominee, and addresses of the underwriting office and the servicing office, where both offices are not the same.

10. Underwriting. - No insurer shall authorize any micro-insurance agent or any other outsider to underwrite any insurance proposal for the purpose of granting insurance cover.

11. Capacity Building: - Every insurer shall impart at least twenty-five hours of training at its expense and through its designated officer(s) in the local vernacular language to all micro-insurance agents and their specified persons in the areas of insurance selling, policyholder servicing and claims administration.

12. Remuneration/ commission.- (1) A micro-insurance agent may be paid, remuneration for all the functions rendered as outlined in regulation 5 and including commission, by an insurer, and that the same shall not exceed the limits as stated below:

(a) For Life Insurance Business:

Single Premium policies	- *Ten per-cent of the single premium*
Non single premium policies	- *Twenty per cent of the premium for all the years of the premium paying term*

(b) For Non-Life Insurance Business: *Fifteen per cent of the premium.*

(2) Where the agreement between the micro-insurance agent and insurer is terminated for any reason whatsoever, no future commission/ remuneration shall be payable.

(3) For group insurance products, the insurer may decide the commission subject to the overall limit as specified in sub-regulation (1).

13. Overall compliance.- Every insurer shall ensure that all transactions in connection with micro-insurance business are in accordance with the provisions of the Act, the Insurance Regulatory and Development Act, (41 of 1999), and the rules and regulations made there under.

14. Submission of information.- Every insurer shall furnish information in respect of micro-insurance business in such form and manner and containing such particulars, as may be required by the Authority from time to time.

15. Obligations to Rural and Social Sectors.- (1) All micro-insurance policies may be reckoned for the purposes of fulfillment of social obligations by an insurer pursuant to the provisions of the Act and the regulations made there under.

(2) Where a micro-insurance policy is issued in a rural area and falls under the definition of social sector, such policy may be reckoned for both under rural and social obligations separately.

16. Handling of complaints/ grievances.- (1) It shall be the responsibility of the insurer to handle and dispose of complaints against a micro-insurance agent with speed and promptitude.

(2) Every insurer shall send a quarterly report to the Authority regarding the handling of complaints/grievances against the micro-insurance agents and where in a particular quarter, there are no complaints/grievances, a "Nil" report shall be sent.

17. Inspection by Authority.- The Authority may cause inspection of the office and records of any micro-insurance agent, at any time, if it is deemed necessary.

18. Removal of difficulties.- Where any doubt or difficulty arises in giving effect to the provisions any of these regulations, the same may be referred to the Authority, whose decision thereon shall be binding on the parties concerned.

Schedule-I

[See regulation 2(d)]

Item	Type of Cover	Min. Amount of Cover	Max. Amount of Cover	Term of Cover Min.	Term of Cover Max.	Min. Age at entry	Max. age at entry
1	Dwelling & contents, or livestock or Tools or implements or other named assets / or Crop insurance against all perils	Rs. 5,000 Per asset/ cover	Rs. 30,000 Per asset/ cover	1 year	1 year	NA	NA
2	Health Insurance Contract (Ind.)	Rs. 5,000	Rs. 30,000	1 year	1 year	Insurers' discretion	
3	Health Insurance Contract (family) (Option to avail limit for Individual/ Float on family)	Rs 10,000	Rs. 30,000	1 year	1 year	Insurers' discretion	
4	Personal Accident (per life/ earning member of family)	Rs. 10,000	Rs. 50,000	1 year	1 year	**5**	**70**

Note:- The minimum number of members comprising a group shall be at least twenty for group insurance.

3248 GI/05-4

Schedule-II

[See regulation 2(e)]

Type of Cover	Minimum Amount of Cover	Maximum Amount of Cover	Term of Cover Min.	Term of Cover Max.	Minimum age at entry	Maximum age at entry
Term Insurance with or without return of premium	Rs. 5,000	Rs. 50,000	5 year	15 years	18	60
Endowment Insurance	Rs. 5,000	Rs. 30,000	5 year	15 years	18	60
Health Insurance Contract (Individual)	Rs 5,000	Rs. 30,000	1 year	7 year	Insurer's discretion	Insurer's discretion
Health Insurance Contract (Family)	Rs 10,000	Rs 30,000	1 year	7 year	Insurer's discretion	Insurer's discretion
Accident Benefit as rider	Rs. 10,000	Rs. 50,000	*5 year*	15 years	18	60

Notes: 1. Group insurance products may be renewable on a yearly basis

2. The minimum number of members comprising a group shall be at least twenty for group insurance.

C. S. RAO, Chairman

[ADVT III/IV/161/2005/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.